राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3286 / 2025

सुरेश शिल्पकार

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में संस्थापन अधिकारी के पद पर डाईट माउंट आबू रोड़, सिरोही में कार्यरत है। अपीलार्थी की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी के पद पर होने के फलस्वरूप अपीलार्थी का पदस्थापन डाईट, भरतपुर में हुआ था, जिसके पश्चात उक्त आदेश में संशोधन करते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन डाईट, माउंट आबू, सिरोही किया गया। उक्त स्थान अपीलार्थी के निवास स्थान से 350 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी की माताजी वृद्ध है, जिनकी उम्र 85 वर्ष है एवं गंभीर रोगों से पीड़ित है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी की है। अपीलार्थी स्वयं ह्रदय रोग से पीड़ित है, जिसका उपचार जारी है। इस प्रकार अपीलार्थी का पदस्थापन दूरस्थ किए जाने से अपीलार्थी को पारिवारिक एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन

भी प्रस्तुत किया, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष